न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 12/2021 (2021/13)

अपीलान्ट्स

1. जगदीश पुत्र अन्नाराम
2. छोटाराम पुत्र अन्नाराम, जातियान् माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. इन्द्रसिंह पुत्र पुनमचन्द, जाति घांची
2. श्रीमती संतोष पत्नी इन्द्रसिंह, जाति घांची, निवासी– कबूतरों का चौक, जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश भू0अ0/2021/349–352 दिनांक 05.02.2021 को तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति (अपीलान्ट्)।
2. अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़ (रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 व 02)

–: आदेष :– दिनांक :– 22.04.2021

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम आदेश भू0अ0/2021/349–352 दिनांक 05.02.2021 को तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 50/2 रकबा 18 बीघा वाके ग्राम सालावास तहसील लूणी में आई हुई है। अपीलार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा ग्राम सालावास के खसरा संख्या 50/2 रकबा 20 बीघा में से रकबा 1.05 बीघा व रकबा 0.15 बीघा कुल रकबा 2 बीघा का बेचान क्रमशः इन्द्रसिंह पुत्र पुनमचन्द तथा सन्तोष पत्नी इन्द्रसिंह को किया गया। खसरा नं0 50/2 रकबा 20 बीघा भूमि मुख्य सड़क सालावास–बोरानाडा रोड 430 फुट लगती है तथा अपीलान्ट ने 25 फीट सालावास–बोरानाडा सड़क से लगता चौडाई में शेष पूर्व की तरफ लम्बाई में बेचान किया था परन्तु रेस्पोडेन्ट ने सांठगांठ करते हुए अधिक चौड़ाई में गलत तरमीम दर्ज करवा दी जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी जबकि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को 25 फीट चौडाई दर्शाते हुए तथा शेष पूर्व दिशा की ओर लम्बाई में भूमि विक्रय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:25 IST
Reason: SelfAttested

थी परन्तु तरमीम चौडाई में ज्यादा कर दी जो अशुद्ध है जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। पक्षकारान् के मध्य सीमा का विवाद भी बना हुआ है परन्तु रेस्पोडेन्ट्स ने मनमाने तौर पर आदेश पारित करवाते हुए विवाद की स्थिति एवं कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील पेश की है।

अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री चेतनराम जाखड़ ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलान्ट अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति ने मौखिक बहस में बतलाया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा एकतरफा आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि भू–राजस्व अधिनियम के तहत विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान को तय करने का अधिकार मात्र भू–अभिलेख अधिकारी को ही प्राप्त है जबकि तहसीलदार लूणी ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी निरन्तर मौखिक बहस में कथन किया कि पक्षकारान् के मध्य तरमीम तथा कब्जा का विवाद है जो सक्षम न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है तथा कब्जा के लिए सक्षम न्यायालय को शक्तियां प्राप्त है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस सब तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषक श्री चेतनराम जाखड़ ने लिखित बहस पेश कर बतलया कि अपीलान्ट्स की खातेदारी 20 बीघा भूमि थी जिसमें से अपीलान्ट्स ने 01 बीघा 05 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 15 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को दिनांक 24.12.2009 को बेचान कर दी जिसके खसरा नं0 50/5 व 50/6 एवं जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी में दर्ज है।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया अपीलान्ट्स ने बेचान की गई भूमि का नजरी नक्शा एवं पड़ौस अंकित करते हुए बेचान किया है। बेचान के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें का नाप करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेचान की गई भूमि की चौडाई सड़क की तरफ 5 मिलीमीटर होती है जो 100 फुट के बराबर होती है। रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2213 भरा एवं स्वीकार किया जाकर खसरा नं0 50/5 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नं0 50/6 रकबा 15 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की खातेदारी दर्ज कर दी। रेस्पोडेन्ट्स ने तहसीलदार लूणी के समक्ष रजिस्टर्ड बेचान के अनुसार उपरोक्त खसरान् नक्शा ट्रेस में दर्ज करने के लिये आवेदन पत्र दिया जिस पर तहसीलदार लूणी ने दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:25 IST
Reason: SelfAttested

03.09.2019 को रजिस्टर्ड बेचान के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश दिया जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.09.2019 को नक्शा ट्रेस में खसरा नं0 50/5 व 50/6 की तरमीम कर दी। अपीलान्ट ने दिनांक 17.09.2019 को तहसीलदार लूणी के नक्शा ट्रेस में तरमीम करने बाबत् आदेश की माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। माननीन न्यायालय द्वारा अपील संख्या 84/2019 अनवान जगदीश बनाम श्रीमती संतोष व अन्य आदेश दिनांक 10.12.2019 को अपील को सारहीन मानकर खारिज कर दी। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2019 के विरूद्ध माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 246/2019 पेश की माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 11.03.2020 के द्वारा तहसीलदार लूणी एवं माननीय न्यायालय के आदेश विधि सम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं मानकर खारिज कर दी गई। अपीलान्ट ने माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 11.03.2020 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने भी निर्णय दिनांक 22.01.2021 को निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज कर दी गई। तरमीम आदेश माननीय राजस्व मण्डल तक विधिसम्मत माना जा चुका है जिसे अपीलान्ट्स द्वारा विधिविरूद्ध कहना न्यायोचित नहीं है। तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की भूमि का नक्शा ट्रेस की तरमीम अनुसार सीमाकंन का प्रशासकीय आदेश दिया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है एवं अपीलान्ट्स की अपील पोषणीय नहीं होने से केवल इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अध्ययन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 50/2 रकबा 18 बीघा वाके ग्राम सालावास तहसील लूणी में से जरिये दो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा 2 बीघा भूमि का बेचान इन्द्रसिंह पुत्र पुनमचन्द तथा सन्तोष पत्नी इन्द्रसिंह को किया गया। रेस्पोडेन्ट्स ने तहसीलदार लूणी के समक्ष रजिस्टर्ड बेचान के अनुसार उपरोक्त खसरान् नक्शा ट्रेस में दर्ज करने के लिये आवेदन पत्र दिया जिस पर तहसीलदार लूणी ने दिनांक 03.09.2019 को रजिस्टर्ड बेचान के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश दिया जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.09.2019 को नक्शा ट्रेस में खसरा नं0 50/5 व 50/6 की तरमीम कर दी। अपीलान्ट ने दिनांक 17.09.2019 को तहसीलदार लूणी के नक्शा ट्रेस में तरमीम करने बाबत् आदेश की न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। न्यायालय द्वारा अपील संख्या 84/2019 अनवान जगदीश बनाम श्रीमती संतोष व अन्य आदेश दिनांक 10.12.2019 को अपील को सारहीन मानकर खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट ने न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2019 के विरूद्ध माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 246/2019 पेश की। माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 11.03.2020 के द्वारा तहसीलदार लूणी एवं न्यायालय के आदेश विधि सम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:25 IST
Reason: SelfAttested

नहीं मानकर खारिज कर दी गई। अपीलान्ट ने माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 11.03.2020 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने भी निर्णय दिनांक 22.01.2021 द्वारा निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज कर दी गई। तरमीम आदेश माननीय राजस्व मण्डल तक विधिसम्मत माना जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन हाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:25 IST
Reason: SelfAttested